

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर (चूरु)
पीठासीन अधिकारी :- दिव्या आर.ए.एस.

वाद संख्या :- 103/2025

दावा अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 व
अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956


निर्णय दिनांक :- 28/5/2025

अनुवान मोहनराम बनाम राजस्थान सरकार

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र/दावा एवं राज पैरोकार तहसीलदार सरदारशहर की अनुशंका धार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 व राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 धारा 136 के अनुसरण में ग्राम पातलीसर बड़ा तहसील सरदारशहर की जमाबन्दी सम्वत 2074-77 में संख्या नया 302 पुराना 248, खाता संख्या नया 303 पुराना 247 एवं खाता संख्या नया 299 पुराना में वर्तमान प्रविष्टि को आज दिनांक 28/5/25 को निम्नानुसार शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दरामद के आदेश दिये जाते हैं। शेष प्रविष्टिया यथावत रहेगी।

ग्राम	खाता संख्या नया (पुराना)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
पातलीसर	302 (248)	मोहनलाल पुत्र गाडूराम	मोहनराम पुत्र गाडूराम
बड़ा	303 (247)	मोहनलाल पुत्र गाडूराम	मोहनराम पुत्र गाडूराम
	299 (249)	मोहनलाल पुत्र गाडूराम	मोहनराम पुत्र गाडूराम


दिव्या (आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी


सरदारशहर (चूरु)

नोटिफिकेशन : निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

तहसीलदार सरदारशहर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद तीन दिवस में किया जाकर पालना रिपोर्ट से न्यायालय को अवगत करावें।

प्रार्थनी श्री/श्रीमती




दिव्या (आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी

सरदारशहर (चूरु)